

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 12

वाणिज्य विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	987.56	3306.38	4293.94	1921.50	3628.00	5549.50	1707.32	3587.40	5294.72	1323.65	3666.36	4990.01	
पूँजी	949.64	...	949.64	304.50	...	304.50	392.68	...	392.68	101.50	...	101.50	
जोड़	1937.20	3306.38	5243.58	2226.00	3628.00	5854.00	2100.00	3587.40	5687.40	1425.15	3666.36	5091.51	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	1.88	61.95	63.83	6.50	72.53	79.03	4.39	75.69	80.08	2.15	72.94	75.09
विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन													
2. व्यापार आयुक्त	3453	...	142.24	142.24	...	134.55	134.55	...	159.43	159.43	...	169.99	169.99
3. विदेश व्यापार महानिदेशक	3453	...	94.17	94.17	4.97	108.51	113.48	1.01	117.35	118.36	4.97	112.03	117.00
4. निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता													
4.01 निर्यात सस्मिडी	3453	...	1142.24	1142.24	...	1275.00	1275.00	...	1237.37	1237.37	...	1209.93	1209.93
4.02 बैंकों को ब्याज सस्मिडी	3453	...	1475.00	1475.00	...	1625.00	1625.00	...	1435.00	1435.00	...	1625.00	1625.00
4.03 निर्यात संवर्धन एवं बाजार विकास संगठन को सहायता-अनुदान	3453	...	49.99	49.99	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00
जोड़- निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता		...	2667.23	2667.23	...	2950.00	2950.00	...	2722.37	2722.37	...	2884.93	2884.93
5. मुक्त व्यापार/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों/विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास													
5.01 कांडला-एसईजेड	3453	...	8.27	8.27	...	9.55	9.55	...	10.17	10.17	...	10.40	10.40
5.02 इलेक्ट्रोनिक्स (एसईईपीजेड)-एसईजेड	3453	...	8.13	8.13	...	8.45	8.45	...	8.70	8.70	...	8.45	8.45
5.03 फाल्टा	3453	...	4.01	4.01	...	4.70	4.70	...	4.80	4.80	...	5.24	5.24
5.04 चेन्नई	3453	...	6.80	6.80	...	6.95	6.95	...	7.90	7.90	...	8.25	8.25
5.05 कोचीन-एसईजेड	3453	...	6.46	6.46	...	6.80	6.80	...	9.02	9.02	...	6.38	6.38
5.06 नोएडा	3453	...	7.13	7.13	...	8.40	8.40	...	8.78	8.78	...	9.27	9.27
5.07 विशाखापत्तनम	3453	...	7.71	7.71	...	7.72	7.72	...	7.78	7.78	...	7.74	7.74
5.08 इंदौर-एसईजेड	3453	...	1.42	1.42	...	1.78	1.78	...	1.78	1.78	...	1.84	1.84
5.09 जयपुर-एसईजेड	3453	...	0.61	0.61	...	0.63	0.63	...	0.77	0.77	...	0.67	0.67
5.10 मनीकंचन-एसईजेड (कोलकाता)	3453	...	0.65	0.65	...	0.73	0.73	...	0.70	0.70	...	0.83	0.83
5.11 मुरादाबाद-एसईजेड	3453	...	0.45	0.45	...	0.43	0.43	...	0.48	0.48	...	0.48	0.48
5.12 महा-मुम्बई-एसईजेड	3453	...	0.50	0.50	...	0.58	0.58	...	0.52	0.52	...	0.58	0.58

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
5.13 जोधपुर-एसईजेड	3453	...	0.31	0.31	...	0.58	0.58	...	0.54	0.54	...	0.54	0.54
5.14 सुरत-एसईजेड	3453	...	0.56	0.56	...	0.55	0.55	...	0.75	0.75	...	0.81	0.81
5.15 ईसीजीसी में निवेश	5465	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	50.00	...	50.00
5.16 राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता	3453	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	130.00	...	130.00	200.00	...	200.00
जोड़- मुक्त व्यापार/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों/विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास		130.00	53.01	183.01	130.00	57.85	187.85	230.00	62.69	292.69	250.00	61.48	311.48
6. कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	3453	115.00	1.00	116.00	130.00	1.00	131.00	130.00	1.00	131.00	112.00	1.00	113.00
7. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	3453	115.00	5.00	120.00	115.00	5.00	120.00	105.00	7.98	112.98	115.00	5.00	120.00
8. विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन की अन्य योजनाएं													
8.01 वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय	3453	0.85	26.65	27.50	3.00	29.70	32.70	3.00	42.47	45.47	1.50	34.55	36.05
8.02 निर्यात संवर्धन गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण													
8.02.01 निर्यात निरीक्षण परिषद	3453	3.20	...	3.20	8.00	...	8.00	6.64	...	6.64	10.00	...	10.00
8.02.02 बाजार सुलभता पहल-निर्यात अध्ययन	3453	179.99	...	179.99	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00
8.02.03 डब्ल्यूटीओ अध्ययन केन्द्र	3453	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	16.52	...	16.52
8.02.04 संस्थाओं को सहायता	3453	47.48	...	47.48	70.01	...	70.01	46.57	...	46.57	40.00	...	40.00
8.02.05 आधुनिकीकरण और उन्नयन	3453	5.39	...	5.39	7.50	...	7.50	6.46	...	6.46	7.50	...	7.50
	5453	2.54	...	2.54	3.00	...	3.00	1.18	...	1.18	1.50	...	1.50
जोड़		7.93	...	7.93	10.50	...	10.50	7.64	...	7.64	9.00	...	9.00
जोड़- निर्यात संवर्धन गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण		246.60	...	246.60	296.51	...	296.51	268.85	...	268.85	275.52	...	275.52
8.03 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान	3453	...	26.33	26.33	...	32.18	32.18	...	54.00	54.00	...	40.00	40.00
8.04 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	3453	...	0.66	0.66	...	3.50	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50	3.50
8.05 निर्यात अवसरचना और अन्य संबद्ध कार्यकलापों के विकास के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता योजना	5453	737.60	...	737.60	110.00	...	110.00	50.00	...	50.00
8.06 रत्न एवं आभूषण क्षेत्र													
8.06.01 मुम्बई में सम्मेलन केन्द्र	3453	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
8.06.02 साधारण सुविधा केन्द्र	3453	0.48	...	0.48	0.01	...	0.01	0.48	...	0.48
8.06.03 जयपुर में रत्न सराफा	3453	0.48	...	0.48	0.01	...	0.01	0.48	...	0.48
8.06.04 मुम्बई में रत्न एवं आभूषण पार्क	3453	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
8.06.05 आभूषण क्षेत्र	3453	0.02	...	0.02	0.01	...	0.01	0.02	...	0.02
जोड़- रत्न एवं आभूषण क्षेत्र		1.00	...	1.00	0.05	...	0.05	1.00	...	1.00
8.07 चर्म एवं चर्म उत्पाद क्षेत्र													
8.07.01 एफडीडीआई की नई शाखाएं	3453	99.98	...	99.98

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
5453	108.50	...	108.50	200.00	...	200.00	180.00	...	180.00	
जोड़	108.50	...	108.50	200.00	...	200.00	180.00	...	180.00	99.98	...	99.98	
8.07.02 नेटवर्किंग केन्द्र	3453	0.01	...	0.01	
5453	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	
जोड़	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	
जोड़	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	
8.07.03 बीजनिधि के चमड़ा क्षेत्र सृजन के निगमीकरण हेतु उद्यम पूंजी निधि का सृजन	3453	0.01	...	0.01	
5453	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	
जोड़	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.01	...	0.01	
जोड़- चर्म एवं चर्म उत्पाद क्षेत्र	109.50	...	109.50	201.50	...	201.50	181.50	...	181.50	100.00	...	100.00	
8.08 फार्मा क्षेत्र-जैवसमान/जैवतुल्य अध्ययन	3453	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	
8.09 व्यापार संबंधी उपचार तथा व्यापार संबंधी रक्षा	3453	...	4.79	4.79	...	16.75	16.75	...	13.84	13.84	...	11.85	
8.10 अन्य	3453	...	2.09	2.09	...	1.60	1.60	...	1.87	1.87	...	1.60	
जोड़- विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन की अन्य योजनाएं	1094.55	60.52	1155.07	502.02	83.73	585.75	563.41	115.68	679.09	428.03	91.50	519.53	
जोड़-विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन बागान	1454.55	3023.17	4477.72	881.99	3340.64	4222.63	1029.42	3186.50	4215.92	910.00	3325.93	4235.93	
9. सामग्री बोर्ड													
9.01 चाय बोर्ड													
9.01.01 कार्यक्रम संघटक	2407	132.99	39.00	171.99	72.50	39.00	111.50	60.00	47.09	107.09	61.00	49.98	110.98
9.01.02 छोटे उत्पादकों के लिए विकास योजना	2407	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
9.01.03 चाय अधिनियम की नियामक प्रावधान सहित ई - नीलामी और संबद्ध गतिविधियों का कार्यान्वयन	2407	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
जोड़- चाय बोर्ड	132.99	39.00	171.99	78.50	39.00	117.50	66.00	47.09	113.09	67.00	49.98	116.98	
9.02 रबड़ बोर्ड													
9.02.01 कार्यक्रम घटक	2407	157.08	37.50	194.58	120.00	37.50	157.50	110.00	58.50	168.50	113.99	47.75	161.74
9.02.02 सांख्यिकीय तथा सूचना सेवाएं तथा ई-गवर्नेंस	2407	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़- रबड़ बोर्ड	157.08	37.50	194.58	120.01	37.50	157.51	110.01	58.50	168.51	114.00	47.75	161.75	
9.03 कॉफी बोर्ड	2407	95.84	56.00	151.84	82.00	39.80	121.80	82.00	65.00	147.00	90.00	46.54	136.54
9.04 मसाला बोर्ड	2407	94.50	9.35	103.85	85.00	9.35	94.35	85.00	15.00	100.00	85.00	10.35	95.35

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
9.05 काजू निर्यात संवर्धन परिषद	2407	2.07	...	2.07	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
जोड़- सामग्री बोर्ड		482.48	141.85	624.33	369.51	125.65	495.16	347.01	185.59	532.60	360.00	154.62	514.62
बागानों की अन्य योजनाएं													
10. बागानों की अन्य योजनाएं													
10.01 मूल्य स्थिरीकरण निधि	2407	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10
10.02 पीएसएफ न्यास को भुगतान मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना													
10.02.01 से	2407	...	0.63	0.63	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
10.02.02 को	2407	-3.00	-3.00	...	-3.00	-3.00
कुल		...	0.63	0.63
जोड़- बागानों की अन्य योजनाएं		...	0.63	0.63	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10
जोड़-बागान		482.48	142.48	624.96	369.51	125.75	495.26	347.01	185.69	532.70	360.00	154.72	514.72
11. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभ की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान													
11.01 कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण(एपीईडीए)	2552	8.00	...	8.00
11.02 चाय बोर्ड	2552	70.00	...	70.00	67.50	...	67.50	70.00	...	70.00
11.03 रबड़ बोर्ड	2552	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00
11.04 कॉफी बोर्ड	2552	23.00	...	23.00	23.00	...	23.00	15.00	...	15.00
11.05 मसाला बोर्ड	2552	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभ की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान		143.00	...	143.00	140.50	...	140.50	143.00	...	143.00
12. आपूर्ति और निपटान													
12.01 डीजीएस एंड डी	2057	...	81.82	81.82	...	89.08	89.08	...	139.52	139.52	...	112.77	112.77
12.02 डीजीएस एंड डी में कम्प्यूटरी	2057	15.09	...	15.09	25.00	...	25.00	13.84	...	13.84	10.00	...	10.00
जोड़- आपूर्ति और निपटान		15.09	81.82	96.91	25.00	89.08	114.08	13.84	139.52	153.36	10.00	112.77	122.77
13. वास्तविक वसूलियां	2407	-14.24	-0.20	-14.44
	3453	-2.56	-2.84	-5.40
	5453
जोड़		-16.80	-3.04	-19.84
राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र योजना													
14. निर्यात अवसरचना और अन्य संबद्ध कार्यकलापों के विकास के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता योजना	2552	100.00	...	100.00	90.00	...	90.00
	3601	700.00	...	700.00	474.84	...	474.84

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
कुल जोड़	800.00	...	800.00	564.84	...	564.84	
	1937.20	3306.38	5243.58	2226.00	3628.00	5854.00	2100.00	3587.40	5687.40	1425.15	3666.36	5091.51	
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
1. निर्यात ऋण और गारंटी निगम	13453	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	...	100.00	50.00	...	50.00	
जोड़		100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	...	100.00	50.00	...	50.00	
ग. योजना परिव्यय													
केन्द्रीय योजना:													
1. सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	13451	1.88	...	1.88	6.50	...	6.50	4.39	...	4.39	2.15	...	2.15
2. विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन	13453	1451.99	...	1451.99	881.99	...	881.99	1029.42	...	1029.42	910.00	...	910.00
3. वृक्षा रोपण	12407	468.24	...	468.24	369.51	...	369.51	347.01	...	347.01	360.00	...	360.00
4. पूर्ति तथा निपटान	32057	15.09	...	15.09	25.00	...	25.00	13.84	...	13.84	10.00	...	10.00
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	143.00	...	143.00	140.50	...	140.50	143.00	...	143.00
जोड़ - केन्द्रीय योजना		1937.20	...	1937.20	1426.00	...	1426.00	1535.16	...	1535.16	1425.15	...	1425.15
राज्य योजना:													
1. निर्यात अवसरचना एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों के विकास हेतु राज्यों को सहायता	43601	800.00	...	800.00	564.84	...	564.84
जोड़ - राज्य योजना		800.00	...	800.00	564.84	...	564.84
जोड़		1937.20	...	1937.20	2226.00	...	2226.00	2100.00	...	2100.00	1425.15	...	1425.15

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं:** यह प्रावधान विभाग के सचिवालयी स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

2. **व्यापार आयुक्त:** विदेश स्थित भारतीय मिशनों के कार्यरत 106 वाणिज्यिक कार्यालय हैं। विदेश स्थित वाणिज्यिक कार्यालय संस्थागत ढांचा प्रदान करते हैं और वे विश्व के साथ भारत के व्यापार एवं आर्थिक आदान-प्रदान का संवर्धन करने के लिए होते हैं। इन स्कधों का प्राथमिक कार्य वैश्विक बाजार की प्रवृत्तियों, व्यापारिक कार्यकलापों से संबंधित पूरक सूचना के जरिए व्यापारिक एवं आर्थिक नीतियां तैयार करने में सरकार की सहायता करना है। यह प्रावधान इन वाणिज्यिक कार्यालयों के स्थापना सम्बन्धी व्यय हेतु है।

3. **विदेश व्यापार महानिदेशालय:** योजना प्रावधान निर्यात बंधु स्कीम, प्रशिक्षण निर्माण तथा कार्यालय/आवासीय भवन स्कीम के लिए है। योजना -भिन्न प्रावधान प्रशासनिक व्यय के लिए है। इस निदेशालय का दायित्व

निर्यातों के संवर्धन हेतु विदेश व्यापार नीति कार्यान्वित करना है। यह विभिन्न शुल्क निष्प्रभावीकरण स्कीमों के कार्यान्वयन एवं निर्यात दायित्वों की निगरानी आदि से संबंधित कार्य भी देखता है।

4. **निर्यात संवर्धन एवं बाजार विकास हेतु सहायता:** यह प्रावधान माने गए निर्यात संबंधी लाभों (शुल्क प्राप्ति अदायगी तथा अन्तिम उत्पाद शुल्क की वापसी) के लिए है। इस प्रावधान में निर्यात संवर्धन परिपदों और अन्य संस्थानों को "फोकस एल ए सी", "फोकस अफ्रीका", "फोकस आसियान 2" तथा "फोकस सीआईएस" कार्यक्रमों आदि जैसी विशिष्ट निर्यात संवर्धन स्कीमों के लिए अनुदानों का भुगतान भी शामिल है। इसके अतिरिक्त यह प्रावधान व्याज सहायता योजना के जरिए व्यय को पूरा करने के लिए भी किए गए है।

5. **मुक्त व्यापार/विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) का विकास:** यह प्रावधान मुख्यतः घरेलू टैरिफ क्षेत्रों से अलग अंतः क्षेत्रों के रूप में स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के प्रशासनिक व्यय के लिए है जिनका उद्देश्य निर्यात संवर्धन के लिए शुल्क मुक्त

वातावरण उपलब्ध कराना है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, उक्त क्षेत्र के भीतर स्थित निर्यातानुसूख इकाइयों के प्रशासन के लिए जिम्मेवार है।

5.15. **ई सी जी सी में निवेश ::** ईसीजीसी का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को वाणिज्यिक या राजनीतिक कारणों की वजह से निर्यात आय की प्राप्ति न होने के जोखिम के लिए विभिन्न प्रकार की बीमा सुरक्षा प्रदान करना और बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्यातकों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने हेतु विभिन्न प्रकार की गारंटी प्रदान कर देश के निर्यातों में सहायता करना है।

5.16. **राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता:** राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते से ऐसी परियोजनाओं एवं अन्य उच्च मूल्य वाले निर्यातों के लिए ऋण जोखिम सुरक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित होगी जो राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से वांछनीय हैं।

6. **कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात (एपीडी):** एपीडी की स्थापना 1986 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। यह प्रावधान कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यातों के विकास एवं संवर्धन हेतु एपीडी को भुगतान करने के लिए है।

7. **समुद्री उत्पाद निर्यात प्राधिकरण (एम्पीडी):** एम्पीडी की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी और वह निर्यातों, अपतटीय एवं गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विनियमन तथा मत्स्यन जलपोतों, प्रसंस्करण संयंत्रों, निर्यातकों के पंजीकरण के विशेष संदर्भ में समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास के लिए जिम्मेवार है। यह प्रावधान एम्पीडी के प्रशासनिक, विकास और संवर्धनात्मक कार्यकलापों के लिए है।

8. **विदेश व्यापार एवं निर्यात संवर्धन की अन्य योजनाएं:** इसमें वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, निर्यात संवर्धन गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण, अन्तरराष्ट्रीय संगठनों को योगदान, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, निर्यात अवसरचना विकास एवं अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों हेतु राज्यों को केन्द्रीय सहायता योजना, रत्न एवं आभूषण क्षेत्र, चर्म एवं चर्म उत्पाद क्षेत्र, फार्मा क्षेत्र एवं अन्य शामिल हैं।

9. **पण्य बोर्ड:** यह प्रावधान चाय बोर्ड, रबड़ बोर्ड, मसाला बोर्ड, कॉफी बोर्ड, काजू निर्यात संवर्धन परिषद् के लिए किया गया है।

10. **बागान की अन्य योजनाएं:** बागान की अन्य योजनाओं के तहत यह प्रावधान मूल्य स्थिरीकरण निधि, पीएसएफ ट्रस्ट मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना को भुगतान एवं चाय क्षेत्र विकास निधि तथा चाय बोर्ड को भुगतान के लिए किया गया है।

11. **पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम हेतु एकमुश्त प्रावधान:** यह प्रावधान सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए किया गया है।

12. **पूर्ति एवं निपटान (डीजीएसएंडडी):** यह निदेशालय सामान्य प्रयोक्ता मदों के लिए दर संविदाओं को अंतिम रूप प्रदान करने, भंडारों निरीक्षण, पोत लदान और यह प्रावधान राज्य योजना के अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित स्कीम के लिए

किया गया है। निकासी के लिए है। यह प्रावधान पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय एवं उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रशासनिक व्यय के लिए है।

14. राज्य 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामतः अपने बड़े संसाधनों में से इस योजना/कार्यक्रम को जारी रखने (या नहीं रखने) का निर्णय लें।